



CONVICTING THE CRIMINALS



Meticulous Investigation & Prosecution

Dt. 04.07.2024

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में **दिनांक 04.07.2024** को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/NDPS कोर्ट, बहराइच द्वारा NDPS ACT के तहत अभियुक्त को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत हैं -

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिह्नित अभियोग थाना नानपारा में पंजीकृत मु0अ0स0 589/2023 धारा 8/20 NDPS ACT के आरोप में अभियुक्त अजीज पुत्र मुंशी निवासी बंजरिया थाना हरदी को **10 माह का कठोर कारावास तथा ₹0-20,000** के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया, अर्धदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।



मिस्टर गुरजेट
सब ईसिपी

एनडीपीएस के दोषी को 10 माह का सश्रम कारावास

बहराइच। थाना हरदी के बंजरिया गांव निवासी एनडीपीएस एकट के एक दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट ने 10 माह के सश्रम

कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत से 20 हजार रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित भी किया है। अजीज को नानपारा थाने की पुलिस ने 600 ग्राम चरस के साथ बेरिया समय मंदिर के सामने से 24 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वृहस्पतिवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अरबिंद गौतम की कोर्ट में एडीजीसी ने अपना पक्ष रखते हुए अधिक से अधिक सजा दिलाने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को 10 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं 20 हजार रुपये अर्धदण्ड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भगतना होगा। (संदाद)